तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रा०पत्र मुख्तारनामा वापिस (withdrow) किया बहस अंतिम पूर्ण हुई। पत्रावली वास्ते आदेश 07R11 CPC एवं जवाब प्रा०पत्र 01R10CPC दि० 30/01/26 को पेश हो। [signature] 06/1/26	प्रार्थी पक्ष [illegible] 15/01/2026 withdrawn [illegible] [signature] 06/01/2026 [illegible]
30/01/26	पत्रावली पेश हुई / वकील उभयपक्ष उपस्थित / पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र 07 R11 cpc एवं जवाब प्रा०पत्र 01R10cpc दिनांक 17/2/26 को पेश हो। [signature] 30/1/26	
17/2/26	पत्रावली पेश हुई / वकील उभयपक्ष उपस्थित / बहस प्रा० पत्र 07 R11 cpc के परिपेक्ष्य मे प्रा०पत्र 07R11 cpc व संलग्न दस्तावेज, जवाब प्रा०पत्र आदि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी ग्राम पिडावा तहसील ख० नं० 237 रकबा 0-16 बीघा की जमाबंदी संवत 2069-72 एवं 2073-76 के अनुसार [illegible] अहतमाम पिडावा के खाते दर्ज [illegible] मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान [illegible] मुस्लिम वक्फ [illegible] जयपुर के प्रकरण सं० 31/2012 [illegible] बनाम यास्मीनशाह व अन्य मे दिये गये आदेश दिनांक 30/4/2012 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16/07/2012, तहसील पिडावा के दखलनामा दिनांक 12/06/2013	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:24:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तथा CEO, Rajasthan Board of muslim waqf दिनांक 17/02/2023 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 237 Rajasthan Board of Muslim waqf की संपत्ति है। प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि होना प्रथम दृष्टया जाहिर नहीं होती है।

2. The waqf Act, 1955 की धारा-85 के अनुसार वक्फ संपत्तियों से सम्बन्धित विवादों/वादों को सुनने का क्षेत्राधिकार civil court or Revenue court or other authority का नहीं होकर धारा-83 केन्द्रीय वक्फ एक्ट के अधीन राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर को होगा (Raj. waqf Tribunal)। अतः हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त भूमि ख0नं0 237 के वाद (suit) को श्रवण का क्षेत्राधिकार इस राजस्व न्यायालय को नहीं होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(d) CPC खारिज किये जाने योग्य है।

3. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी (प्रति0) का प्रा0 पत्र अन्तर्गत O7 R11 CPC को स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद u/s 91, 92A, 188, 209 RT Act इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:24:24 IST
Reason: SelfAttested

17/2/26
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner